

1
2026/29

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 130 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

तहसील सिरौही

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	292	157 बंगौर मिना 03	1.7324 3.3004	मैतकी धीन नीना धारि - गरासिया सा. इ. 1 रहन - मारवाड रामसिंह बैक मानपुर	मैतकी धीन नीना धारि - गरासिया सा. इ. 1 रहन - रामस्थान रामसिंह बैक शाखा मानपुर	

मुताबिक मिसल/जमाहन्दी संयत 1958 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० नू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रदपारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खातों में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का वसुधारा मू०अ०नि० हनुमानगढ़ की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण यन्दीयस्त सक्रियता के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का वसुधारा मू०अ०नि० हनुमानगढ़ राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। घात जमाबंदी में अमल किया जावे।

दिनांक 15/12/2024
हो उपखण्ड अधिकारी
सिरौही

दिनांक 15/12/2024
हो मू०अ०नि०
हनुमानगढ़

दिनांक 15/12/2024
हो उपखण्ड अधिकारी
सिरौही

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड